19/5/24 आज यह पत्रावली पेश हुई। मौजा
वकील उप. अवगत कराया की इजरायत
की पालना हो चुकी है। उपरोक्त की सुन
कर पत्रावली बाबत निकाल हेतु
वकील दिलीदार को सुनी गयी। उक्त
इजरायत की पालना होने से अब पत्रावली
को आगे चलाया जाना उचित नहीं है।
अतः पत्रावली की कार्यवाही तकी स्तर पर
क्लोज की जाती है। पत्रावली प्रोपर्ल -
गुमार होकर नम्बर डीलिट हो बाद
प्रति शामिल दफ्तर हो।